

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग

क्रमांक:- प.6(27)प्र.सु./अनु.-3/2020

जयपुर, दिनांक: 5.8.2020

आदेश

भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा), भिवाड़ी के कार्यों के सुचारु संपादन/प्रभावी नियंत्रण हेतु प्राधिकरण स्तर पर कार्यकारिणी समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-


- | | |
|---|------------|
| 1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीडा, भिवाड़ी - | अध्यक्ष |
| 2. जिला कलक्टर, अलवर का प्रतिनिधि
(जो अतिरिक्त जिला कलक्टर स्तर से कम ना हो) - | सदस्य |
| 3. आयुक्त, नगर परिषद, भिवाड़ी - | सदस्य |
| 4. नगर नियोजन शाखा, बीडा भिवाड़ी का वरिष्ठतम अधिकारी- | सदस्य |
| 5. अभियांत्रिकी शाखा, बीडा भिवाड़ी का वरिष्ठतम अधिकारी - | सदस्य |
| 6. बीडा क्षेत्राधिकार में रिको का वरिष्ठतम अधिकारी- | सदस्य |
| 7. क्षेत्रीय प्राधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाड़ी - | सदस्य |
| 8. उप-सचिव, बीडा, भिवाड़ी - | सदस्य सचिव |

उक्त कार्यकारिणी समिति निम्नानुसार कर्तव्यों का पालन करेगी :-

1. प्राधिकरण के विभिन्न प्रभागों एवं संगठन की इकाइयों का परिचालन।
2. विनियमों के प्रारूप तैयार करना और प्राधिकरण के लिए अभिशंषा करना।
3. प्राधिकरण क्षेत्र के विकास निधि का संचालन (यदि कोई हो)।
4. परियोजना/योजना तैयार करना।
5. परियोजनाओं और योजनाओं के लिए निविदाओं की स्वीकृति या अस्वीकृति।
6. निर्धारित नियमों/प्रक्रिया के तहत प्राधिकरण के अधीन पदों का सृजन।
7. प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित धनराशि का उधार और पुनर्निर्माण।
8. प्राधिकरण क्षेत्र विकास निधि के अधिशेष धन का निवेश।
9. अनुदानों, उपशमनों, ऋणों या अग्रिमों को बनाना, या परियोजनाओं और योजनाओं के लिए किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या व्यक्ति के साथ खर्चों को साझा करना।
10. प्राधिकरण की ओर से कानूनी कार्यवाही करना/वापस लेना।
11. अपनी शक्तियों और कर्तव्यों में से किसी को अपने अध्यक्ष या प्राधिकरण के किसी अधिकारी को सौंपना।


यह समिति स्थायी प्रकृति की होगी तथा उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग उद्योग (ग्रुप-1) विभाग होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,


5.8.2020
(अरुण प्रकाश शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उद्योग मंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीड़ा, भिवाड़ी।
5. निजी सहायक, शासन उप सचिव, उद्योग विभाग
6. रक्षित पत्रावली।

 5.8.2020

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग

क्रमांक:- प.6(27)प्र.सु./अनु.-3/2020


जयपुर, दिनांक: 28.09.2020

आदेश

दिमागीय आदेश क्रमांक प.6(27)प्र.सु./अनु.-3/2020 दिनांक 05.08.2020 द्वारा मिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीड़ा), मिवाड़ी के कार्यों के सुचारु संपादन/प्रमादी नियंत्रण हेतु प्राधिकरण स्तर पर गठित कार्यकारिणी समिति में मुख्य नगर नियोजक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जयपुर को भी स्थाई सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

यह पूर्व आदेश का भाग माना एवं पढ़ा/समझा जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,


28.9.2020
(अरुण प्रकाश शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उद्योग मंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीड़ा, मिवाड़ी।
5. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, उद्योग विभाग।
6. मुख्य नगर नियोजक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।


28.9.2020
संयुक्त शासन सचिव